प्रारूप–2

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) हनुमानगढ राजस्थान

क्रमाकः–जिशिअ / प्रा0 / हनु / मान्यता / 2016 / 1780 दिनांकः– 11/11/16

सचिव,
सचखण्ड कॉन्वेंट स्कूल,
चक 2 एनडब्ल्यूएन, नवां बाईपास त. हनुमानगढ़,
जिला हनुमानगढ ।

विषयः–निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा–18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम II के उप नियम (4)के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण–पत्र ।

महोदय / महोदया,

आपके दिनांक 29.4.2016 के आवेदन और इस संबध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिदेश **सचखण्ड कॉन्वेंट स्कूल (अंग्रेजी माध्यम) चक 2 एनडब्ल्यूएन, नवा बाईपास, तहः हनुमानगढ़ को कक्षा 1 से 8 कक्षा** तक के लिये अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो को पूरा किये जाने के अध्यधीन है ।

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता / संबंधन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही है ।

2.विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 (उपबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपबंध 2) के उपबंधो का पालना करेगा।

3.विद्यालय कक्षा 1 में उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पडौस के कमजोर वर्गो और अलाभपद्र समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।

4.पैरा–3 में निर्दिश्ट बालकों के लिए, विद्यालय को अधिनियम की धारा–12(2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5.सोसायटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिग प्रकिया के अध्याधीन नहीं करेगा।

6.विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान, धर्म, जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध / निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती चाहा गया है।

7.विद्यालय सुनिशिचत करेगा किः–

(1) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को ,विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नही किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जायेगा।

(2) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नही किया जायेगा।

(3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जायेगी।

(4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम–23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

(5) अधिनियम के उपबंधो के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवशयकता वाले विद्यार्थियों का समावेश किया जाना।

(6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की अधारा 23(1)के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु और यह कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नही है पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगे।

(7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1)के अधीन विनिर्दिश्ट अपने कर्त्तव्यों का पालन करता है, और

(8) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापो में नियोजित नही करेगे।

8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाठयचर्चा के आधार पर पाठयकम का पालन करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 में अधिकथित, विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविघाओं के अनुपात में विद्यार्थियों का नामांकन करेगा।

Scanned By Scanner Go

60	सेंट ऑगस्टीन कॉन्वेण्ट स्कूल, महादेव नगर किशन मेरिज गार्डन, पुरानी चुंगी, आगरा रोड, जयपुर	CBSE	2018–19	अंग्रेजी
61	ग्रीन टर्टल स्कूल दौलतपुरा पुलिस चौकी रोड नंबर 14 जयपुर	CBSE	2018–19	अंग्रेजी
62	सेंट पॉल इंग्लिश मीडियम स्कूल मिशन कम्पाउण्ड वार्ड नं. 9, नसीराबाद, अजमेर	CBSE	2018–19	अंग्रेजी
63	लिबर्टी पब्लिक स्कूल कोटडी धौराड, जोजावड, पीएसएमजे. पाली	CBSE	2018–19	अंग्रेजी
64	चोपासनी उच्च माध्यमिक विद्यालय, जोधपुर	CBSE	2018–19	हिन्दी
65	राठ इण्टरनेशनल स्कूल, अलवर	CBSE	2018–19	अंग्रेजी
66	कैरियर पॉइण्ट गुरुकुल स्कूल, राजसमन्द	CBSE	2018–19	अंग्रेजी
67	मयूर स्कूल चक 1 ई छोटी, करणी मार्ग एचएच. फार्म, श्रीगंगानगर	CBSE	2018–19	अंग्रेजी

Note:- The section and its records shall be opened for inspection by an officer/official of the board or an authorized representative of the Board/state educational Department at any time and the school shall furnish information as may be asked for by the board/state Government from time to time.

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राज0 सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा, राज0 सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राज0 सरकार, जयपुर।
4. निजी सहायक, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राज0 सरकार, जयपुर।
5. उपशासन सचिव–प्रथम शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा,राजस्थान, बीकानेर।
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
8. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम / द्वितीय)................
10. संबंधित विद्यालय ....

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Scanned By Scanner Go